कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ-3 / 16 / 2018 / 10-11 / 2 / 181 > भोपाल, दिनांक 3) - ४-) प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई—5, लिंक रोड़ नं. 3 रविशंकर नगर भोपाल—462016

विषय:— जिला बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 014/2019-BHO/190 दिनांक 28.02.2019

विषयातंर्गत मे भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण मे 05 बिन्दुओं की चाही गयी जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :—

- 1. प्रस्ताव के भाग—1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में सर्वे आफ इंडिया की 1:50,000 स्केल की टोपोशीट पर alternative- I & alternative- III चिन्हित कर वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है, एवं मानचित्र की हार्डकापी संलग्न है।
- 2. ग्राम चौकी एवं रातामाटी के अंतर्गत लगभग 1400 हेक्टेयर वनभूमि आती है। इस 1400 हेक्टैयर वन क्षेत्र का उपयोग ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को चारा ओर ईधन के उपयोग हेतु किया जाता है। इस परियोजना में लगभग 7 हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपयोग होने के बाद भी ग्रामीणों के पास पर्याप्त रकबे में उक्त कार्य के लिये वन क्षेत्र उपलब्ध रहेगा।
- 3. प्रस्ताव के भाग—1 के बिन्दु क्रमांक C(ii) की टेबल में प्रस्तावित वनभूमि 7.002 है0 की संशाधित KML file अपलोड कर दी गयी है एवं सॉफ्टकापी में संलग्न है।
- 4. इस बिन्दु में वनमण्डलाधिकारी, (सा०) दक्षिण वनमंडल बैतूल ने बताया है, कि Dam axis ओर Spill way का कुछ हिस्सा संरक्षित वनभूमि एव कुछ हिस्सा निजी भूमि के अन्तर्गत आता है। इसलिए Dam axis ओर Spill way को KML file में दिखाया नहीं गया है।
- 5. प्रस्ताव के भाग—1 के बिन्दु क्रमांक K(i)(a) में FRA प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, तथा हार्डकापी में संलग्न है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमित प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट

करें। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल पृ. क्रमांक / एफ-3 / 16 / 2018 / 10-11 / 2 / **18 । रि** प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 31-5-13

 मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
 वनमण्डलाधिकारी, (सा०) दक्षिण वनमंडल बैतूल, मध्यप्रदेश।
 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

## Annexure-II

## FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Betul.



No.-FRA/2018/13/4767

Dated 25-06-2018

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 7.002 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of E.E. Water Resources Divi.No.2 Betul (For Minior Tank Probhudhana). (name of user agency) for Dam district falls within jurisdiction of Villages Chouki, Betul Tahsil & Prabhudhan (Ratamati) Village in Bhainsdehi Tahsil. village(s) in Bhainsdehi. tehsils.

## It is further certified that:

- a- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.002 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting's of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee(s) Betul and the District Level Committee are enclosed as annexure A to B annexure ------
- b- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- c- the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of *Chouki/Prabhudhana (Ratamati)*. villages(s) is enclosed as annexure A to annexure
- d- the discussion and decisions on such proposals has taken pace only when there was a quoram of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- f- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1){e} of the FRA.

Encl.: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

SHASHANK MISRA COLLECTOR / DISTT.-BETUL